केवल निजी संचलन के लिए

त्रिनिकेतन समाचार

खंड -2, संख्या. 1&2 जनवरी-जून; 2024

प्रधान संपादक: डॉ. अनिला नायर

- भारत में चाय बागान उद्योग और श्रमिक -

डॉ. अनिला नायर द्वारा

भारत में चाय बागान उद्योग अब लगभग 200 साल पुराना हो चुका है। इस उद्योग की शुरुआत उन्नीसवीं सदी के पहले भाग में असम में ब्रिटिश बागान मालिकों ने की थी और धीरे-धीरे यह देश के कई हिस्सों में फैल गया। आज भारत में इसकी खेती 15 राज्यों में की जाती है। हालाँकि, आज इस उद्योग का मुख्य केंद्र असम है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु आदि हैं।

शुरुआत में चाय बागानों में काम करने वाले मजदूर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, नेपाल और अन्य जगहों से लाए गए बंधुआ मजदूर थे। मजदूरों को बागानों में रहने की जगह मुहैया कराई जाती थी। बागानों को अन्य इलाकों से अलग कर दिया गया था।

मज़दूरों की परिस्थितियाँ बहुत संतोषजनक नहीं थीं। वे बहुत गंदे और अस्वास्थ्यकर हालात में रहते थे। और बंधुआ होने के कारण उन्हें अपनी अमानवीय परिस्थितियों को सहना पड़ता था।

संपादक - मंडल

मुख्य संपादक - डॉ. अनिला नायर

संपादकीय बोर्ड के सदस्य

- प्रो. जितेन्द्र चौधरी
- श्री कैलाश नायर
- सुश्री कार्तिका पिल्लई, कार्यकारी निदेशक

सामग्री की सूची

भारत में चाय बागान उद्योग और श्रमिक	-	1
वैश्विक बाल श्रम दिवस	-	2
बेरोजगारी उन्मूलन की रणनीति और कार्रवाई	-	3
विश्व पर्यावरण दिवस का उत्सव	-	3
प्रस्तावित गतिविधियाँ	-	4
फाउंडेशन से संपर्क कैसे करें	-	4

हालाँकि, आज़ादी के बाद भारत सरकार ने बागान मज़दूर अधिनियम, 1951 बनाया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य बागान मज़दूरों को कल्याणकारी सुविधाएँ प्रदान करना है। इस अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान किए गए, जैसे: -

- स्वास्थ्य सेवाएं जिनमें शामिल हैं: -
  - पेयजल आपूर्ति
  - संरक्षण सुविधाएं
  - चिकित्सा सुविधाएं

- कल्याणकारी सेवाएं जिनमें शामिल हैं: -
  - कैंटीन सुविधाएं
  - क्रेच सुविधाएं
  - मनोरंजन सुविधाएं
  - शैक्षिक सुविधाएं
  - आवास सुविधाएं

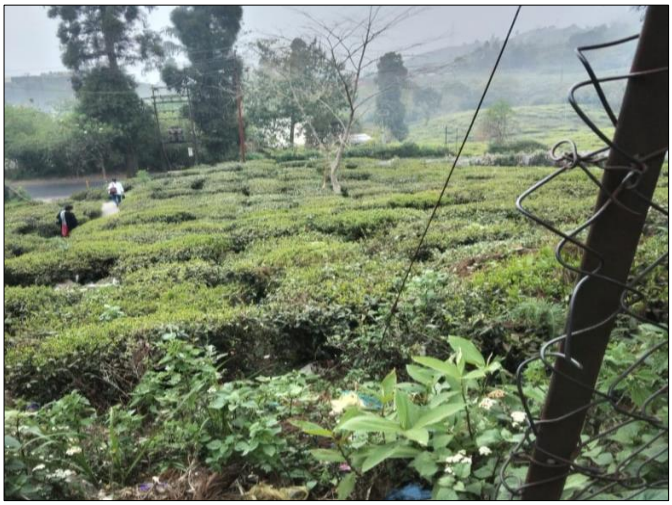

इसके अलावा, अधिनियम में सुरक्षा, काम के घंटे और रोजगार की सीमा, मजदूरी, आराम आदि का भी प्रावधान किया गया।

यह अधिनियम वास्तव में देश में बागान श्रमिकों की बेहतरी के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन गया। और इसके परिणामस्वरूप, कई बागान सम्पदाओं ने बागान श्रमिकों के लिए औषधालय, स्कूल और घर भी बनाए हैं।

तालिका नंबर 1 भारत में दशकों में चाय का उत्पादन	
वर्ष	**उत्पादन (किलोग्राम हजार में)**
1950	278212
1960	321077
1970	418517
1980	569172
1990	720338
2000	846922
2010	966403
2018	1338630

स्रोत: भारतीय चाय बोर्ड द्वारा जारी चाय सांख्यिकी 2019

हालांकि, बागान मजदूरों की संख्या और उद्योग की बदलती विशेषताओं को देखते हुए, मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। और उनकी स्थिति को वांछित और संतोषजनक स्तर तक सुधारने के लिए, निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए:-

(i) श्रमिकों को वासभूमि और खेती के लिए भूमि पर अधिकार दिए जाने चाहिए।
(ii) बागान श्रमिकों और उनके बच्चों के लिए शिक्षा के अवसरों को बढ़ाया जाना चाहिए।
(iii) चिकित्सा देखभाल को बढ़ाया जाना चाहिए और मोबाइल डिस्पेंसरी का प्रावधान किया जाना चाहिए।
(iv) बेहतर संचार के लिए बागान संपदा में बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाना चाहिए।
(v) मौजूदा चिकित्सा सुविधाओं को नया रूप दिया जाना चाहिए।
(vi) बागान क्षेत्रों में कौशल विकास सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए ताकि श्रमिकों और उनके बच्चों दोनों को कौशल संवर्धन के अवसर मिल सकें जो उन्हें अन्य क्षेत्रों में बेहतर अवसर खोजने में मदद कर सकते हैं।

चाय बागानों में सुधार की दिशा में कदम

आज चाय उद्योग पर कई कारक प्रभाव डाल रहे हैं, जिससे उत्पादन कम हो रहा है और श्रमिकों में तनाव बढ़ रहा है। इस उद्योग को प्रभावित करने वाली समस्याएँ हैं: -

- चाय की पत्तियों और उसकी गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला गंभीर जलवायु परिवर्तन।
- अपर्याप्त वित्तीय सहायता।
- वेतन संबंधी मुद्दों और सामाजिक सुरक्षा के कारण श्रमिकों में असंतोष।
- पुरानी चाय की झाड़ियाँ पर्याप्त मात्रा में चाय की पत्तियों का उत्पादन नहीं कर रही हैं।
- गिरती कीमतें और विभिन्न देशों से प्रतिस्पर्धा उद्योग को प्रभावित कर रही हैं।

देश में चाय उद्योग और चाय श्रमिकों को बचाने के लिए इन मुद्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यह उद्योग देश में श्रमिकों के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है। इसके अलावा, चाय उद्योग देश में पर्याप्त विदेशी मुद्रा भी लाता है।

इसलिए, हितधारकों - सरकार, नियोक्ता, श्रमिक और अन्य लोगों द्वारा उद्योग और उसके कर्मचारियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए समग्र प्रयास किया जाना चाहिए।

- वैश्विक बाल श्रम दिवस: 12 जून 2024 -

हर साल 12 जून को मनाया जाने वाला वैश्विक बाल श्रम दिवस, दुनिया भर में बाल श्रम की लगातार बढ़ती समस्या पर प्रकाश डालता है और बच्चों के अधिकारों के इस उल्लंघन को खत्म करने के लिए सामूहिक कार्रवाई का आह्वान करता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा 2002 में स्थापित यह दिवस उन लाखों बच्चों की याद दिलाता है, जिन्हें श्रम शोषण के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षित बचपन के अपने अधिकार से वंचित किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों और विनियमों के बावजूद बाल श्रम एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। ILO के अनुसार, 5 से 17 वर्ष की आयु के 160 मिलियन से अधिक बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं, जिनमें से लगभग आधे ऐसे खतरनाक

काम में लगे हुए हैं जो उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और नैतिक विकास के लिए खतरा हैं। यह समस्या विशेष रूप से कृषि, खनन और अनौपचारिक क्षेत्रों में प्रचलित है, जहाँ बच्चों को अक्सर लंबे समय तक काम करना पड़ता है, उन्हें कम वेतन दिया जाता है और उन्हें असुरक्षित परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।

कोविड-19 महामारी ने स्थिति को और खराब कर दिया है, जिससे परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और अधिक बच्चे श्रम में धकेले जा रहे हैं। स्कूल बंद होने और दूरस्थ शिक्षा तक पहुँच की कमी ने शोषण के प्रति बच्चों की भेद्यता को और बढ़ा दिया है।

वैश्विक बाल श्रम दिवस का उद्देश्य बाल श्रम से निपटने के लिए जागरूकता बढ़ाना और संसाधन जुटाना है। 2024 का विषय "सभी के लिए सामाजिक न्याय" पर केंद्रित है, जो बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने वाली और निष्पक्ष श्रम प्रथाओं को बढ़ावा देने वाली समावेशी नीतियों की आवश्यकता पर जोर देता है। सरकारों, गैर सरकारी संगठनों, व्यवसायों और व्यक्तियों से सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करने और श्रम कानूनों को लागू करने जैसे स्थायी समाधान बनाने में सहयोग करने का आग्रह किया जाता है।

बाल श्रम के उन्मूलन के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो गरीबी और असमानता के मूल कारणों को संबोधित करता है। बच्चों के अधिकारों और कल्याण को प्राथमिकता देकर, समाज शोषण के चक्र को तोड़ सकता है और सभी बच्चों के लिए एक उज्जवल, अधिक न्यायपूर्ण भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। वैश्विक बाल श्रम दिवस इन आवश्यक परिवर्तनों की वकालत करने और दुनिया को यह याद दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में खड़ा है कि हर बच्चा श्रम से मुक्त बचपन का हकदार है।

- बेरोजगारी उन्मूलन की रणनीति और कार्रवाई -

बेरोज़गारी एक वैश्विक संकट है। यह समाज, राजनीति, परिवार और व्यक्ति को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रहा है। यह दुनिया के हर देश में लोगों को अलग-अलग तरीके से परेशान कर रहा है। लेकिन कुछ देश दूसरों की तुलना में

बेरोज़गारी की चुनौतियों का सामना ज़्यादा कर रहे हैं।

बेरोजगारी के कई कारण हैं और कारण स्पष्ट और ज्ञात हैं। फिर भी उन्हें हल करने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए जाते हैं। यहाँ हम कुछ कारणों और प्रभावों पर प्रकाश डाल रहे हैं।

- बेरोजगारी का महत्वपूर्ण कारण संपत्ति और धन का असमान वितरण है। असमानता को व्यवस्थित रूप से बनाए रखा जाता है ताकि शोषणकारी व्यवस्था बनाई और बनाए रखी जा सके।
- एक अन्य महत्वपूर्ण कारण मानव और भौतिक संसाधन नियोजन की अनुपस्थिति है।
- बेरोजगारी का तीसरा कारण सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग उन गतिविधियों पर करना है जिनमें एक सभ्य कार्य ढांचे के भीतर रचनात्मक और पुनर्योजी रोजगार क्षमता नहीं है।
- अपर्याप्त कौशल विकास।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, रोजगार सृजन के लिए निम्नलिखित रणनीतियां सुझाई गई हैं: -

(i) सबसे पहले मानव संसाधनों को इस तरह से नियोजित करना होगा कि श्रम शक्ति की वृद्धि रोजगार की वृद्धि से मेल खाए। और इसके लिए प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति और पुनर्जनन को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या नियोजन की आवश्यकता है।

(ii) रोजगार चाहने वाले हर व्यक्ति के लिए शिक्षा और कौशल विकास अनिवार्य होना चाहिए।

(iii) कौशल में व्यवहारिक और व्यावसायिक दोनों इनपुट शामिल होने चाहिए।

(iv) व्यवहारिक कौशल के भीतर, सबसे महत्वपूर्ण घटक मजबूत कार्य नैतिकता का पालन होना चाहिए, यानी: "काम पूजा है।"

- विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन : फाउंडेशन अध्यक्ष द्वारा -

विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का विषय भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे पर केंद्रित है। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार, ग्रह की 40% भूमि क्षरित हो चुकी है, जिसका सीधा असर दुनिया की आधी आबादी पर पड़ रहा है और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (US$44 ट्रिलियन) के लगभग आधे हिस्से पर खतरा मंडरा रहा है। कई मानवीय और प्राकृतिक गतिविधियाँ इस तरह के क्षरण का कारण बनती हैं, जिसका असर स्थानीय वनस्पतियों और जीवों पर भी पड़ता है। इस बीच, मरुस्थलीकरण एक और मुद्दा है जो ग्रह को प्रभावित करता है, जिससे भूमि के बड़े हिस्से अनुपयोगी हो जाते हैं। भूमि का अत्यधिक दोहन और जलवायु परिवर्तन दोनों ही इस तरह

के मरुस्थलीकरण के पीछे हैं। अंत में, सूखा भूमि क्षरण का एक प्रकार है जिससे आम जनता ज़्यादातर खुद को जोड़ती है

फाउंडेशन ने विभिन्न स्थानों पर पेड़-पौधे लगाकर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया।

इस प्रकार, इस वर्ष हमें लोगों के बीच योजनाबद्ध और टिकाऊ भूमि फसल पैटर्न, वनस्पति बढ़ाने, जल प्रबंधन और भूजल स्तर को बनाए रखने के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने की दिशा में काम करना चाहिए। हमें लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और वनों की कटाई और ऊपरी मिट्टी के कटाव दोनों को कम करना सुनिश्चित करना चाहिए, जो कि केवल यह सुनिश्चित करके किया जा सकता है कि भूमि कम से कम घास से ढकी हो जो ऊपरी मिट्टी को एक साथ रख सकती है।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने वृक्षारोपण अभियान और स्वच्छता अभियान सहित कई जागरूकता पहल की। छात्रों के बीच मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, सरकार ने देश भर में मार्च, क्विज़ प्रतियोगिताएं, सिट-एंड-ड्रा प्रतियोगिताएं, नुक्कड़ नाटक और प्रदर्शनियां भी आयोजित कीं। सरकार जलवायु परिवर्तन और भूमि क्षरण से जुड़े कई पहलुओं को दिखाते हुए कई इन्फोग्राफ़ भी साझा करती है।

- प्रस्तावित गतिविधियाँ -

- आम लोगों और आम तौर पर कामगारों की स्थिति में सुधार लाने के लिए समर्पित होने के कारण, फाउंडेशन कुछ गांवों को गोद लेने की योजना बना रहा है, जहां यह ग्रामीणों को उद्यमिता कौशल के साथ-साथ सॉफ्ट स्किल भी प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य स्थानीय संसाधनों- मानवीय और भौतिक दोनों को जुटाकर कुछ आदर्श गांवों का विकास करना है।

  हमारे अध्ययन और अवलोकन से पता चलता है कि प्रशिक्षण और सहायता से सक्रिय मानवीय व्यवहार और सकारात्मक दृष्टिकोण में नाटकीय बदलाव आ सकते हैं। और यह बदलाव लोगों को अपने गांवों को विकसित करने के प्रयासों को संगठित करने में मदद कर सकता है।

  हमने कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं से बात की और पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के सागरपुर और चुआटिया नामक दो गांवों की पहचान की।

- संस्थापक अध्यक्ष डॉ. अनिला नायर छात्रों को उनकी शैक्षणिक गतिविधियों में मार्गदर्शन देती हैं, उन्हें विभिन्न मुद्दों पर सलाह देती हैं, जैसे कि उनकी अध्ययन सामग्री, परामर्श के लिए पुस्तकें तैयार करना, तथा तनाव प्रबंधन के बारे में भी सलाह देती हैं।
- कार्यकारी निदेशक सुश्री कार्तिका पिल्लई ने वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा, उत्तर प्रदेश में लचीले रोजगार के मुद्दों पर एक सेमिनार में भाग लिया।
- फाउंडेशन ने कई युवा प्रतिभागियों को वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी भेजा।
- हमारे पास ऐसे प्रशिक्षु हैं जो एमिटी विश्वविद्यालय, नोएडा, उत्तर प्रदेश, और नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, द्वारका, नई दिल्ली जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से सामुदायिक कार्यों और शोध कार्यों पर काम कर रहे हैं।

-How to get in Touch/ संपर्क करने के तरीके -

☎ **011-96676 48959**
triniketanfoundation2018@gmail.com
www.triniketanfoundation.org

TRINIKETAN FOUNDATION FOR

MID : 037213000071953 TID : 13771917
ME Helpdesk: 18602332332 / 022-40426060

हमारे बैंक खातों का विवरण निम्नानुसार है:

Axis Bank Ltd, R.K. Puram Branch, Munirka, New Delhi-110067,
Savings Bank Account No. 923010000628304,
IFS Code UTIB0003532

TRINIKETAN FOUNDATION FOR DEVELOPMENT, B-25, FF, Shalimar Apartments, Masjid Moth, South Ex, Part II, New Delhi-110049
Published by: JRP Enterprises, 248/B, Rama Market, Munirka, New Delhi-110067